



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

25 October, 2023

दय घाटाल पिपलस को-अपारेटिड ब्याङ्क लिमिटेड, पश्चिमबङ्ग एर उपर भारतीय रिजार्ड ब्याङ्क आर्थिक जरिमाना आरोप करलो

भारतीय रिजार्ड ब्याङ्क(आरबिआई), सेप्टेम्बर 21, 2023 दिनाङ्कित एकटि आदेश द्वारा, आरबिआई द्वारा जारिकृत 'क्रेडिट इनफर्मेसन कोम्पानि (CIC)-एर सदस्यता (Membership of Credit Information Companies (CICs)', 'उन्मोचन विधि एवंग संविधिवद्द/ अन्यन्य विधिनिषेध-ईउसिवि (Exposure Norms and Statutory/Other Restrictions – UCBs)', 'रिजार्ड ब्याङ्क अफ इन्डिया - (आपनार ग्राहकके जानुन (KYC)) निर्देशविधि, 2016 (Reserve Bank of India – (Know Your Customer (KYC)) Directions, 2016)' संक्रान्त निर्देशविधि-समूहेर अननुपालन एवंग ब्याङ्किंग रेगुलेशन अ्याक्ट, 1949 (BR Act) एर धारा 26-A तंसह पठित आरबिआई द्वारा जारिकृत 'आमानतकारी शिक्षा एवंग सचेतनता निधि योजना, 2014- ब्याङ्किंग रेगुलेशन अ्याक्ट, 1949 एर धारा 26A-र सापेक्षे क्रियासंक्रान्त निर्देशिका (The Depositor Education and Awareness Fund Scheme, 2014 –Section 26A of Banking Regulation Act, 1949 - Operational Guidelines)' संक्रान्त निर्देशविधिसमूह एर विधानसमूह अमान्य करार मर्मे, दय घाटाल पिपलस को-अपारेटिड ब्याङ्क लिमिटेड, पश्चिमबङ्ग(ब्याङ्क)-एर उपर ₹1.50 लाख (एक लाख पञ्चश हजार टाका मात्र) –एर आर्थिक जरिमाना आरोप करेछे। एइ दण्डटि आरोप करा ह्येछे विआर अ्याक्ट(BR Act)-एर धारा 47-A (1) (c) तंसह पठित धारा 46 (4) (i) ओ 56 एवंग क्रेडिट इनफर्मेसन कोम्पानिज (रेगुलेशन) अ्याक्ट, 2005 (Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005)-एर धारा 25 (1) (iii) तंसह पठित धारा 23 (4)-एर विधानसमूहेर अधीने आरबिआई-ते उपर न्युनत फमताबलेर प्रयोगे।

एइ क्रियापदक्षेप-एर भित्ति- विधिसम्पर्कित(regulatory) अनुपालन कार्ये खामति, एवंग ब्याङ्क कर्तृक तार ग्राहकेर साथे क्रियाप्रविष्टि कोनओ लेनदेन वा सम्मतिसनद (agreement)-एर वैधता-र उपर विचार-प्रभाव आरोप एर अभिप्राय नय।

पटुभूमि

आरबिआई कर्तृक सम्पादित मार्च 31, 2022-एर ब्याङ्क संक्रान्त आर्थिक परिस्थिति विषयक संविधिवद्द निरीक्षण(statutory inspection), एवंग निरीक्षण प्रतिवेदन (Inspection Report), रूँकि निरूपन प्रतिवेदन (Risk Assessment Report) ओ तदजनित सकल योगायोगपत्रादि-र विश्लेषण अन्यन्य विषयादि-र साथे एइमर्मे प्रकाश करे ये- ब्याङ्क टि (i) ब्यर्थ ह्येछे CIC-ते खण संक्रान्त तथ्य आपलोड करते, (ii) लण्डन करेछे- विधिवद्द आणुः-ब्याङ्क विपरीत-पार्श्विक उन्मोचन सीमा (prudential inter-bank counter-party exposure limit), (iii) स्थापन करेनि अ्याकाउन्ट समूहेर रूँकि श्रेणीविभाजन संक्रान्त पर्यायभित्तिक समीक्षा सम्पर्कित व्यवस्था (system of periodic review of risk categorisation of accounts) - एर, (iv) आमानतकारी शिक्षा एवंग सचेतनता निधि (Depositor Education and Awareness Fund) - ते स्थानान्तरित करेनि सकल उपयुक्त राशिगुलिके। फलतः, तद-विषयक उल्लेख अनुयायी प्राणुक्त निर्देशविधिसमूह

অনুপালন করার জন্য এর উপর কেন দন্ড আরোপ করা হবে না সেইমর্মে কারণ দর্শানোর পরামর্শ দিয়ে ব্যাঙ্ক-টির প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি (Notice) জারি করা হয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তি-টির সাপেক্ষে ব্যাঙ্ক টি-র জবাব, অতিরিক্ত দাখিলাদি এবং ব্যক্তিগত শুনানি কালীন এর দ্বারা পেশ করা মৌখিক দাখিলাদি বিবেচনা করার পর আরবিআই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে প্রাপ্ত আরবিআই নির্দেশবিধি অনুপালন জনিত অভিযোগ ধার্য-ক্রিয়া(charge) বাস্তবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিক জরিমানা আরোপ যথাবিহিত।

প্রেস প্রকাশনী: 2023-2024/1176

(যোগেশ দয়াল)

মুখ্য মহাপ্রবন্ধক